न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 43/2017 FSSA

1. सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री अनूप खण्डेलवाल पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स अनुप मेडिकल्स, होलेश्वर महादेव गली, बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा।
2. श्रीमति रमा देवी खण्डेलवाल पत्नि स्व. श्री राधेश्याम खण्डेलवाल निवासी 102 बी, आर्य नगर, अलवर मैसर्सः—प्रवीण मेडिकल एजेन्सीज, 102 बी, स्कीम नं. 1 वार्ड संख्या 9 अलवर।
3. श्री प्रदीप सुराना पुत्र श्री सुरज करण सुराना मैसर्सः— **Cachet Pharmaceutical Ltd. Indian Pharma, A-111, Janta Colony Jaipur.**
4. श्री विकास गांधी, मैसर्स **Park Pharmaceuticals Vill. Kalu Jhanda, Near nanakpur, The. Baddi Solan, Himachal Pradesh** निर्माता।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगा. 3 उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः—27.06.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.09.2016 को दोपहर बाद 02:30 बजे मैसर्सः— अनुप मेडिकल्स, होलेश्वर महादेव गली, बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अनुप खण्डेलवाल पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल उपस्थित मिला विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 10 पैट बोतल 200 एमएल में पैट पैकिंग में पैक **Proprietary Food (Multi cach)** की 10 पैट बोतल आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी। इसमे मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जांच हेतु 8 मूल पैट बोतल 200 एमएल वजनी **Proprietary Food (Multi cach)** खरीदी। जिसकी कीमत 235 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Proprietary Food (Multi cach)** 8 बोतलों में से दो—दो बोतलो को एक जगह बांधकर चार पैकिट तैयार किये। लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता एफ.बी.ओ. के [illegible] करवाकर लेबलों को पैकिटो पर चिपकाकर पैकिटो को अलग—अलग खाकी कागज में [illegible] के किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर पैकिटो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्[illegible]जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—1485 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर [illegible] को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार—चार [illegible]गह से चपडी से सील [illegible]कर पैकिटो पर पर एफबीओ(विक्रेता) श्री अनूप खण्डेलवाल के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाकर चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 16.09.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.09.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.09.2016 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ **Proprietary Food (Multi cach)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 2768 / एक्ट / 2016 / 440 दिनांक 13.10.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल उपस्थित आये।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 को तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाकर उपस्थित होने हेतु बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 की बहस सुनी गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ **Proprietary Food (Multi cach)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 2768 / एक्ट / 2016 / 440 दिनांक 13.10.2016 में अंकितानुसार उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने के लेबल पर निम्न कमियां पाई गई हैः–

1. लेबल पर फलों का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है लेकिन उत्पाद में कोई फल सामग्री नहीं डाली गई हैए इसलिए यह एफएसएस (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमन 2011 के विनियमन **2.4.6(3)** का उल्लंघन है ।

"There is a pictorial representation of fruits on the label but there is no fruit content added in th product hence it is contravention the 2.4.6(3) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011"

2- नमूने के लेबल पर **Best before 18 months from mfg.** निर्धारित फार्मेट में नहीं लिखा गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rameshwarp Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:47 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Proprietary Food (Multi cach)** का नमूना **Regulation No. 2.4.6(3) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011''** के सेक्शन **3(1)(zf)(c)(i) FSS Act 2006** के अन्तर्गत मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ **Proprietary Food (Multi cach)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रकरण में फर्म को अलग से अभियुक्त नहीं बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने की कार्यवाही करने से पूर्व दो या दो से अधिक स्वतंत्र गवाहों को मौके पर नहीं बुलाया है ना ही विक्रेता को लिखित में कोई नोटिस दिया गया है। विक्रेतागण द्वारा उक्त माल को सील पैक खरीदा गया है व सील पैक में ही बेचा गया है। प्रार्थी द्वारा कोई मिलावट किया जाना या उसके मानकों के लिये कोई जिम्मेदारी नहीं है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रकरण बिना किसी आधार के पेश किया गया है। परिवाद पत्र के साथ स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री जयपुर की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें नमूने को बिल्कुल सही पाया गया है व गलत तरीके से मिसब्राण्ड अंकित किया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ दवाई का डिब्बा सील्ड पैकिंग के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 मैसर्स परवीन मेडिकल एजेन्सी अलवर से बिल क्रमांक 7885 से खरीद किया गया था। विपक्षी संख्या 2 ने **CACHET PHARMACEUTICAL JANTA COLONY JAIPUR** से दिनांक 16.08.2016 को जरिये बिल खरीद किया है। इसके लिये उत्पादनकर्ता जिम्मेदार है व कम्पनी द्वारा पैकिंग लेबल में सुधार कर लिया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 80(2)(घ)(1) का फायदा मिलना चाहिये। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्य एल.एस. /2768/एक्ट/2016/440 दिनांक 13.10.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना नियम **2.4.6(3) of Food Safety and Standards (Packaging and Labeling Regulations 2011)** का उल्लंघन होने के कारण सेक्शन **3(1)(zf)(c)(i)** के अन्तर्गत मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री अनूप खण्डेलवाल मैसर्सः– अनुप मेडिकल्स, होलेश्वर महादेव गली, बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा द्वारा यह खाद्य पदार्थ जरिये बिल अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्रीमति रमा देवी खण्डेलवाल मैसर्सः–प्रवीण मेडिकल एजेन्सीज, 102 बी, स्कीम नं. 1 वार्ड संख्या 9 अलवर से खरीद किया है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा यह खाद्य पदार्थ जरिये बिल अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 श्री प्रदीप सुराना पुत्र श्री [illegible] सुराना मैसर्सः– **Cachet Pharmaceutical Ltd. Indian Pharma, A-111, Janta Colony Jaipur** से खरीद किया है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 द्वारा जरिये बिल यह खाद्य पदार्थ अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 श्री विकास गांधी, मैसर्स **Park Pharmaceuticals Vill. Kalu Jhanda, Near [illegible] Baddi Solan, Himachal Pradesh** निर्माता से खरीद किया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ **Proprietary Food (Multi cach)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 52 में वर्णित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rameswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रकरण संख्या : 43 / 2017 **FSSA**</u>

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड स्तर के खाद्य पदार्थ **Proprietary Food (Multi cach)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 श्री विकास गांधी, मैसर्स **Park Pharmaceuticals Vill. Kalu Jhanda, Near nanakpur, The. Baddi Solan, Himachal Pradesh** निर्माता पर 3,00,000 / — (अक्षरे तीन लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 27.06.2025 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA**/ 2025 / दिनांकः— 27.06.2025

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अनूप खण्डेलवाल पुत्र श्री सीताराम खण्डेलवाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स अनुप मेडिकल्स, होलेश्वर महादेव गली, बडियाल रोड बांदीकुई जिला दौसा।
4. श्रीमति रमा देवी खण्डेलवाल पत्नि स्व. श्री राधेश्याम खण्डेलवाल निवासी 102 बी, आर्य नगर, अलवर मैसर्सः—प्रवीण मेडिकल एजेन्सीज, 102 बी, स्कीम नं. 1 वार्ड संख्या 9 अलवर।
5. श्री प्रदीप सुराना पुत्र श्री सुरज करण सुराना मैसर्सः— **Cachet Pharmaceutical Ltd. Indian Pharma, A-111, Janta Colony Jaipur.**
6. श्री विकास गांधी, मैसर्स **Park Pharmaceuticals Vill. Kalu Jhanda, Near nanakpur, The. Baddi Solan, Himachal Pradesh** निर्माता।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:34:47 IST
Reason: SelfAttested